न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 24/2026 (GCMS: **2026/35**)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख, उम्र 54 साल निवासी वार्ड नं. 07 (नया 12) फरीदसर, धक्का बस्ती, केसरीसिंहपुर मोबाईल नम्बर 82098–12226

18.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह स्वयं एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 05.02.2026 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ वार्ड नं. 01 साधावाली काट, केसरीसिंहपुर, मैन रोड़ पर स्थित बेनाम दुकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी वार्ड नं. 07(नया 12), फरीदसर धक्का बस्ती, केसरीसिंहपुर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर दुकान में 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) पाई गयी, जिसे श्री नरेन्द्र सिंह ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार उक्त दुकान में करता हैं।** मौके पर नरेन्द्र सिंह द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। नरेन्द्र सिंह ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), [illegible] का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अ[illegible] वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] जब्तशुदा 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्ल[illegible]क कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:20 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 24/2026
सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह
(GCMS No. 2026/35)

अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों **को दोहराते हुए कथन किया कि** वह केसरीसिंहपुर का स्थायी निवासी है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 05.02.2026 को उसकी दुकान से सामान जब्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया गया सामान/सामग्री विभाग/कार्यालय रखा जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है तथा ना ही प्रार्थी जब्त सामान की मांग करेगा। इसलिए उसने प्रकरण को खारिज करने की प्रार्थना की है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 05.02.2026 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने अपने बहस में जब्त सामान को राजसात करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है और उसके किसी प्रकार का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अप्रार्थी को दुकान से बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उससे जब्तशुदा पेट्रोल एवं डीजल राजसात किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करन मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4) एवं 04 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, अप्रार्थी के जवाब, विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 05.02.2026 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु वार्ड नं. 01, साधावाली केसरीसिंहपुर मेन रोड पर स्थित बेनाम दुकान पर पहुंचे तो मौके पर श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) दुकान में पाई गयी, जिसे अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 24/2026
सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह
(GCMS No. 2026/35)

का बेचान उक्त दुकान में करता है। मौके पर नरेन्द्र सिंह ने पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) को जब्त किया गया। नरेन्द्र सिंह ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, इसलिए जब्तशुदा 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः–

> **''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। अप्रार्थी से 710 लीटर पेट्रोल एवं 770 लीटर डीजल का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) के पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:20 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह के कब्जे से उसकी दुकान में 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) बेचान

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह के पास** पेट्रोल के **भण्डारण/बेचान करने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 710 लीटर पेट्रोल एवं 770 लीटर डीजल "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा 770 लीटर डीजल, 710 लीटर पेट्रोल, 09 प्लास्टिक ड्रम, 03 प्लास्टिक कैनी, 03 हस्तचालित पम्प, 02 लोहे की कीप, 02 लोहे के माप (क्षमता 05 लीटर, 10 लीटर) राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 770 लीटर डीजल एवं 710 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 710 लीटर पेट्रोल एवं 770 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को अनुपालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:20 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर